फाइल न. 02/12/2016-टी.सी. भारत सरकार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) पश्चिमी खण्ड-8, स्कंध-2, आर.के.पुरम. नई दिल्ली।

दिनांक-29 दिसम्बर 2017

स्चना

इस कर्यालय के दिनांक 29 दिसम्बर 2017 के कार्यालय आदेश के संदर्भ में 01 जनवरी, 2016 से पूर्व सभी सत्यापित शीर्षक जो निर्धारित दो वर्षों की समय सीमा में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने में असफल रहे हैं, उन्हें दिनांक 01, फरवरी 2018 को बिना किसी अन्य सूचना के डी-ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रकाशक इसे अंतिम सूचना के रूप में लें।

इसे प्रेस पंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(हिमानी सारद)

रिलाल र्मारद

उप-प्रेस पंजीयक

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

File No. 02/12/2016-TC GOVERNMENT OF INDIA REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA (Ministry of Information and Broadcasting) West Block 8, Wing 2, R.K. Puram, New Delhi-110066

29th December, 2017

NOTICE

With reference to an Office Order dated December 29, 2017, all titles verified prior to January 1st, 2016 which have failed to complete their registration process in the stipulated timeframe of two years will be de-blocked on February 1st 2018 without any further intimation. The publishers may consider this as the final notice.

This is issued by the approval of PR

(Himani Sarad)

Deputy Press Registrar

Office of the Registrar of Newspapers for India